



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639]
No. 1639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2008/कार्तिक 30, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2008/KARTIKA 30, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2008

का.आ. 2708(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को इस शर्त के अधीन उक्त स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में प्रत्येक के सम्बंध में विनिर्दिष्ट अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के सम्बंध में शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत करती है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सके या उक्त धारा के अधीन शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सके, यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई करना लोकहित में आवश्यक है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारी, जो वैज्ञानिक 'ग' के रैंक से नीचे न हो	सम्पूर्ण भारत
2.	राज्य जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारी जो वैज्ञानिक 'ग' रैंक से नीचे न हो	सम्पूर्ण सम्बंधित राज्य
3.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी जो वैज्ञानिक 'ग' रैंक से नीचे न हो	सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की क्षेत्राधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण राज्य

[फा. सं. 28-14/2008-सीएस-III (एनबीए)]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2008

S.O. 2708(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby authorises the officers specified in column (2) of the Table below, to file complaints with regard to offences punishable under the said Act, within the areas of jurisdiction specified against each in the corresponding entry in column (3) of the Table aforesaid, subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest, namely :—

TABLE

Sl. No.	Officers authorised to file complaints under Section 61(a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Officers of the National Biodiversity Authority, not below the rank of Scientist 'C'	Whole of India
2.	Officers of the State Biodiversity Boards, not below the rank of Scientist 'C'	Whole of the concerned State
3.	Officers of the Regional Offices of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, not below the rank of Scientist 'C'.	Whole of the States under the jurisdiction of the respective Regional Offices.

[F. No. 28-14/2008-CS-III (NBA)]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.